मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांकः मई 16, 2016

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय के **पुराने मोबाईल सेटों** की नीलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 30/05/2016 को दोपहर 2:00 बजे से की जाएगी।

सामग्री का अवलोकन दिनांक 30/05/2016 को मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क करके किया जा सकता है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु मा0 न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में रु.1200/(रु.1000/–रिफन्डेबल तथा रु.200/–नॉन–रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक 30/05/2016 की दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करें:–

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल
3. जिलाधिकारी, नैनीताल
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल
5. अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, नैनीताल
6. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
7. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

व्यवस्थाधिकारी
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

नियम एवं शर्तें

- नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में रु. 1,200/– (रु.1,000/–रिफन्डेबल तथा रु.200/–नॉन–रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक 30/05/2016 की दोपहर 12:00 बजे तक या उससे पूर्व, जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, निलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

- जमानत धनराशी जमा करने हेतु प्रपत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त प्रपत्र उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in में भी उपलब्ध है।

- सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 30/05/2016 तक उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में किया जा सकता है।

- नीलामी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 30/05/2016 को दोपहर 1:00 बजे से की जाएगी।

- माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए, निलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

- असफल बोलीदाताओं को रु.1,000/– की धनराशी का भुगतान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल निविदा दाता की रु. 1,000/– की धनराशी, निविदा की समस्त धनराशी जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।

- सफल निविदा दाता को उसके द्वारा लगाये गए मूल्य के अतिरिक्त सम्बन्धित टैक्स (जैसा लागू हो) भी देना होगा। तथा सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान–पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।

- नीलामी प्रक्रिया निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर शुरु होगी।

- नीलामी की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:–

SN	Make	IMEI No.	Minimum price
1.	Blackberry Bold4 9900	359683043669142	3000.00
2.	Blackberry Bold 9900	359683042560300	3350.00
3.	Nokia E6	354875042279502	1765.00
4.	Blackberry Bold 4 9900	357694041762401	3000.00
5.	Blackberry Bold 9780	354261047868237	2667.00
6.	Samsung Galaxy Pro Duos	352615050502268	910.00
7.	Lava iris 458Q	911317400103475 911317400203721	700/-
8.	Lava iris 458Q	911317400094385	700/-
9.	Micromax (canvas, A116)	911304254605201	1200/-
10.	Lava iris 458Q	911317400309726 911317400573974	700/-
11.	Xolo Q900 (8GB Card)	911331300023493 911331300123491	1140/-
12.	Lava iris 458Q	911317400312019 911317400576266	700/-
13.	Sony Xperia X1	359419037470159	2700/-
14.	Lava iris 458Q	911317400091951	700/-
15.	Samsung Galaxy S IV GT-9500	355798105424898	3000/-
16.	Lava iris 458Q	911317400186298, 911317400286544	700/-

17.	Samsung Galaxy SII	358401042577955	3000/-
18.	Xolo Q900 (8GB Card)	911331300055503, 911331300155501	1140/-

- सामग्री को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम निलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

- समिति द्वारा स्वीकार किया गया नीलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये।

- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार किये गये निलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं न्यायालय द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृती के उपरान्त तुरन्त न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में पूर्ण धनराशि नकद जमा करानी होगी, उसके उपरान्त ही सामग्री को ले जाने दिया जायेगा।

- सामग्री को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशी जब्त कर ली जायेगी। तथा सामग्री को पुनः नीलाम किया जायेगा।

- बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशि जमा करने से पूर्व नीलाम किये जाने वाले सामग्री का सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ **मोबाईल सेटों** चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।

- सामग्री को जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।

- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

<u>फार्म–1</u>

- **मोबाईल :–** **(माडलः)**
- व्यक्ति / फर्म का नामः– ....
- पिता का नामः– ....
- आयुः– ....
- व्यवसायः– ....
- पूरा पताः– ....
....
....
- मोबाइल / फोन नम्बरः– ....
- ई–मेल आई.डी.ः– ....

फोटो

- सुरक्षा धनरा ाि **रु.1,200/–** (रु.1,000/– **रिफन्डेबल** तथा रु.200/– **नॉन–रिफन्डेबल**) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरः–

....

मैंने नीलामी के सभी नियमों एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है तथा मैं उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।

स्थानः–

दिनांकः– व्यक्ति / फर्म के हस्ताक्षर